पत्र सं०–6 एस०एस०(6)29/2013(खण्ड)– 1892 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 21/04/2026.

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत राज्य के कुक्कुट प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण तथा क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ एवं किशनगंज में सृजित/स्वीकृत पदों का पद सहित अवधि विस्तार की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल रुपये 52.43 लाख (बावन लाख तैंतालीस हजार) मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०–2238, दिनांक–21.05.2025 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्कीम अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत राज्य के कुक्कुट प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण तथा क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ एवं किशनगंज में सृजित/स्वीकृत पदों का पद सहित अवधि विस्तार की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल रुपये 52.43 लाख (बावन लाख तैंतालीस हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–क, ख, ग एवं अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मुर्गी विकास एवं मुर्गी उत्पादन को बढ़ावा देना है। राज्य में मुर्गी, माँस एवं अंडा के उत्पादन की अपार संभावना रहने के बावजूद अभी भी बिहार अन्य राज्यों से आयातित अंडा पर निर्भर करता है। मुर्गीपालन को बढ़ावा देने से राज्य मुर्गी के माँस एवं अंडा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकेगा तथा राज्य के बाहर जाने वाली राशि की भी बचत होगी। साथ ही मुर्गीपालकों की आर्थिक क्षमता में भी वृद्धि होगी एवं स्वरोजगार का सृजन होगा।

3. राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों के द्वारा मुर्गी, अंडा एवं चूजों का उत्पादन किया जाता है तथा राज्य के इच्छुक बेरोजगार युवाओं/कुक्कुटपालकों/किसानों को मुर्गीपालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है।

4. इस योजना के तहत प्रस्तावित राशि का व्यय राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना, संचालन एवं सुदृढ़ीकरण पर किया जाना है। मदवार/विषयशीर्षवार व्यय विवरणी अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

5. वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत विभिन्न बजट शीर्षों/विषय शीर्षों में पर्याप्त योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है। योजना की विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–"क", "ख" एवं "ग" के रूप में संलग्न है।

6. वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रस्तावित योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जायेगा :–

(i) बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–103 –कुक्कुट विकास, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0106 –मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गी पालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण, विपत्र कोड 02–2403001030106 (व्यय विवरणी अनुलग्नक–"क" संलग्न)।

(ii) बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0102 –बैकयार्ड मुर्गीपालन योजना, विपत्र कोड 02–2403007890102 (व्यय विवरणी अनुलग्नक–"ख" संलग्न)।

(iii) बजट मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग सं०–02, उप शीर्ष–0125 –बैकयार्ड मुर्गीपालन योजना, विपत्र कोड 02–2403007960125 (व्यय विवरणी अनुलग्नक–"ग" संलग्न)।

7. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, किशनगंज एवं पूर्णियाँ होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

8. इस स्कीम का लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से कम है एवं उक्त स्कीम अवधि विस्तार से संबंधित है। इसलिए बिहार कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली–2007 के नियम–21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची–''क'' के उप नियम–4 एवं ''ग'' के उप नियम–2 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)29/2013(खण्ड) के पृष्ठ–14/टि० दिनांक–08.04.2026.

9. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)29/2013(खण्ड) के पृ०–15/टि० तथा डायरी सं०–225, दिनांक–10.04.2026.

10. वित्त विभाग के पत्र सं०–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)29/2013(खण्ड) – 1892/पटना–15, दिनांक–21/04/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)29/2013(खण्ड) – 1892/पटना–15, दिनांक–21/04/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)29/2013(खण्ड) – 1892/पटना–15, दिनांक–21/04/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/जिला कोषागार, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, किशनगंज एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)29/2013(खण्ड) – 1892/पटना–15, दिनांक–21/04/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, (कुक्कुट) क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर, मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)29/2013(खण्ड) – 1892/पटना–15, दिनांक–21/04/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा–10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)29/2013(खण्ड) – 1892 /पटना–15, दिनांक–21/05/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ संबंधित जिला पदाधिकारी/महालेखा परीक्षा, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.5.2026

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)29/2013(खण्ड) – 1892/पटना–15, दिनांक–21/05/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त 05 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.5.2026

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)29/2013(खण्ड) – 1892/पटना–15, दिनांक–21/05/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.5.2026

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–"क"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत राज्य के कुक्कुट प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण तथा क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ एवं किशनगंज में सृजित/स्वीकृत पदों का पद सहित अवधि विस्तार की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले संभावित व्यय की विवरणी :–

सामान्य घटक (विपत्र कोड 02–2403001030106)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	मद का नाम	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0106.02.01 –मजदूरी	1,00,000	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज एवं पूर्णियाँ।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित जिला कोषागार।
2	0106.13.01 –कार्यालय व्यय	50,000		
3	0106.13.02 –वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव	25,000		
4	0106.13.03 –दूरभाष	1,000		
5	0106.13.04 –विद्युत प्रभार	50,000		
6	0106.20.03 –प्रशिक्षण व्यय	1,000		
7	0106.21.01 –सामग्री एवं पूर्तियाँ	50,00,000		
8	0106.52.01 –मशीने एवं उपस्कर	1,000		
	कुल :–	**52,28,000**		

(रुपये बावन लाख अठाईस हजार मात्र)

1892
21/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव

[5] Typed by Sanjay Kumar

व्यय विवरणी–"ख"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत ''समेकित मुर्गी विकास योजना'' के तहत राज्य के कुक्कुट प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण तथा क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ एवं किशनगंज में सृजित/स्वीकृत पदों का पद सहित अवधि विस्तार की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले संभावित व्यय की विवरणी :–

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक (विपत्र कोड 02–2403007890102)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	मद का नाम	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0102.1301 –कार्यालय व्यय	10,000	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज एवं पूर्णियाँ।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ संबंधित जिला कोषागार।
2	0102.20.03 –प्रशिक्षण व्यय	1,000		
	कुल :–	**11,000**		

(रुपये ग्यारह हजार मात्र)

1892
21/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–"ग"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत ''समेकित मुर्गी विकास योजना'' के तहत राज्य के कुक्कुट प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण तथा क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ एवं किशनगंज में सृजित/स्वीकृत पदों का पद सहित अवधि विस्तार की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले संभावित व्यय की विवरणी :–

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (विपत्र कोड 02–2403007960125)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	मद का नाम	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0125.1301 –कार्यालय व्यय	3,000	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज एवं पूर्णियाँ।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित जिला कोषागार।
2	0125.2003 –प्रशिक्षण व्यय	1,000		
	कुल :–	**4,000**		

(रुपये चार हजार मात्र)

व्यय का सारांश

1	व्यय विवरणी–"क"	52,28,000
2	व्यय विवरणी–"ख"	11,000
3	व्यय विवरणी–"ग"	4,000
	कुल योग :–	**52,43,000**

(रुपये बावन लाख तैंतालीस हजार मात्र)

1892
21/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव

[7] Typed by Sanjay Kumar

अनुलग्नक – 1

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत राज्य के कुक्कुट प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण तथा क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ एवं किशनगंज में सृजित/स्वीकृत पदों का पद सहित अवधि विस्तार की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले संभावित व्यय की विवरणी :–

(राशि – रुपये में)

क्र0 सं0	मद का नाम	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0101 –वेतन एवं भत्ते	-	जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज एवं पूर्णियाँ।	संबंधित जिला कोषागार।
2	0201 –मजदूरी	1,00,000	सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज एवं पूर्णियाँ।	संबंधित जिला कोषागार।
3	1301 –कार्यालय व्यय (मूल्यांकन, प्रबोधन एवं अनुश्रवण)	63,000	सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज एवं पूर्णियाँ।	संबंधित जिला कोषागार।
4	1302 –वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव	25,000	सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज एवं पूर्णियाँ।	संबंधित जिला कोषागार।
5	1303 –दूरभाष	1,000	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज एवं पूर्णियाँ।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित जिला कोषागार।
6	1304 –विद्युत प्रभार	50,000	सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज एवं पूर्णियाँ।	संबंधित जिला कोषागार।
7	2003 –प्रशिक्षण व्यय	3,000	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज एवं पूर्णियाँ।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित जिला कोषागार।
8	2101 –सामग्री एवं पूर्तियाँ (कुक्कुट आहार एवं चूजा क्रय हेतु)	50,00,000	सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर।	संबंधित जिला कोषागार।
9	5201 –मशीने एवं उपस्कर	1,000	सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर।	संबंधित जिला कोषागार।
	योग :–	**52,43,000**	–	

(कुल रुपये बावन लाख तैंतालीस हजार मात्र)

1892
21/04/26

21/4

सरकार के संयुक्त सचिव